

विषय:

एफ 13/472/2015/1-25

①
मं. गौ.
आ. गौ. क.
का विभाग

याचिका क्रमांक 16532/2015 द्वारा श्रीमती ~~बुलु मिश्रा~~
जिला- ~~मोप्रो विरुद्ध मोप्रो शासन~~
~~मो. प्रो. विरुद्ध~~ 21/8/15 -0-

पंजी क्रमांक - /वि.प्र./2015.
दिनांक- 23/11/15

कृपया याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ~~इन्दौर~~ द्वारा श्री/ श्रीमती ~~बुलु मिश्रा~~ जिला- ~~मो. प्रो. विरुद्ध~~ मोप्रो द्वारा ~~मो. प्रो. विरुद्ध~~ के संबंध में दायर याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई दिनांक 16/11/2015 को नियत है।

प्रकरण में निम्नांकित को प्रतिवादी बनाया गया है:-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति क.विभाग, भोपाल

(2) आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल

(3) कलेक्टर जिला- ~~मो. प्रो. विरुद्ध~~ मध्य प्रदेश

(4) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला- ~~मो. प्रो. विरुद्ध~~ म.प्र.

(5) ~~विकास रक्षक~~ अतः याचिका में मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित करने हेतु नस्ती कृपया आयुक्त, आदिवासी विकास को अंकितार्थ प्रस्तुत है।

5485/25/11-15
26-11-15
13-DN 0584/2015/1-25
26/11/15
785
9/12/15
सी.ए./सी.टी.डी.
दिनांक

01/5
0.5/5
D.S.
24/11/15

24/11/15
24.11.15
24/11

DEC 2015

107278

13/4/22/15/1/25

(2)

मु.ग.स.
का विभाग

उन्नीस-२ सचिवालय

विषय: - याचिका क्रमांक Wp 16532/15-भो.स.ने
इन्दु सिन्हा सहायक शिक्षक जिला हाइको
विह सं. प्र. 21/1/15 एवं 8/1/15

पूर्व पृष्ठसे

कार्यालयीन आदेश दिनांक
28/12/15 द्वारा AC हाइकोल को
OIC नियुक्त किया गया है। आदेश
की दृष्टापूर्ति संलग्न कर, शासनवली
OSD को आदितायी।

24/1/16

24.2.16

24/2

AC
कर सं. 21/1/16

24/2/16

21.3.16

24

वि.प्र.को.

उत्तराखण्ड आदेश जारी करने
हेतु नदली संबंध विभाग के
अंतिमार्थ प्रस्तुत।

21/3

21.3.16

5485/DS/700
21-3-16

21/3/16

21/3

विधि विभाग

21/3

का.स.स.
21-3-16

8679
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 176556/2015

WP/16532/2015

On Merit
FOR ADM. and I.R.
Fixed for 16-11-2015
WP-DA-4
Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of

Judicature

at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Through The Principal Secretary Tribal
Welfare Deptt Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 06-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 16532/ 2015**

Sir/Madam,

वि.प्र.
23.11.15
I am directed to inform you that one **Smt. Indu Mishra** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/16532/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **16-11-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



Your faithfully

[Signature]

DEPUTY REGISTRAR

[Signature]

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्था07/बी/8679/2015/27165

भोपाल, दिनांक 28/12/15

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी0 16532/15 श्रीमती इन्दु मिश्रा, एल.डी.टी. जिला शहडोल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.08.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारी के तहत सिविल प्रक्रिया सहित 1908 (1908 का अधिनियम सख्याक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन पदतत् शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए,

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शहडोल (मोप्रो) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभियन्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ध्येय नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और अधिक में उठाये गए समस्त विदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में प्रिनिटिड रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।
2. समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त विदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने में सहायता है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा ।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कामगज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।
 - (ख) प्रस्तावित निम्न कथनों का एक प्रारूप ।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
 - (घ) प्रकरण के विस्तृतीकरण के लिये आवश्यक कामगज पत्रों की प्रतियां इसने वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
7. प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन करना ।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग का भेजेगा ।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।

12. प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिकारों को हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामले में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अतिरिक्त आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने अभुशरा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रहित करे।
15. प्रभारी अधिकारी मामले में उक्त उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तुंग होना और उसका यह कल्याण होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील/रिवीजन प्रस्तुत हो जाये।

अपर आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/स्था.7/बी/8679/2015/27166
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 28/12/15

1. महाधिवक्ता जबलपुर म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म0प्र0।
4. फेलोस्टर, शहडोल म0प्र0।
5. सभासद उपायुक्त/शहडोल (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, शहडोल/जबलपुर म0प्र0।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शहडोल (म0प्र0) प्रभारी अधिकारी की ओर अपेक्षित। साथ ही शासकीय अधिकारों से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण प्रत्यक्षी रिपोर्ट प्रेषित करने तथा अपनी ब्रत्येक भेट (विजिट) पर शासकीय अधिकारों से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उस विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रहित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप में भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के सम्मुख विधि एवं नियमों के संव्यसंगत पूरी स्थिति रखें। मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने का प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
7. प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय भोपाल, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश